

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 मार्च 2016—चैत्र 10, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. 11147-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 6 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 30 मार्च 2016 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०१६

## मध्यप्रदेश उपकर ( संशोधन ) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम तथा  
प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

(२) यह १ अप्रैल, २०१६ से प्रवृत्त होगा.

धारा ९ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ९ में, उपधारा (६) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(६) उपकर के आगम, ग्रामीण विकास विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की अधोसंरचना के अनुरक्षण के लिए उपयोजित किए जाएंगे.”

अनुसूची का  
संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक १ के सामने, कॉलम (४) में, अंक “२.५” के स्थान पर अंक “१०” स्थापित किया जाए.

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की अनुसूची में विक्रय, दान, भोग बंधक या तीस वर्ष या अधिक की कालावधि के पट्टे की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की रकम का २.५ प्रतिशत उपकर उद्ग्रहीत किया जाता है. उपकर की दर को बढ़ाकर १० प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि इस रकम का उपयोग ग्रामीण विकास विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की अधोसंरचना के अनुरक्षण के लिए किया जा सके.

२. उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये मूल अधिनियम की धारा ९ और अनुसूची को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख १७ मार्च, २०१६

जयंत मलैया

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.